न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकड़ा जिला खैरथल-तिजारा

अनुवान

सादिमन ..... बनाम ..... आबिद हुसैन वगैरह

अस्थाई निषेधाज्ञा का पत्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस
17/09/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते गतादेशानुसार दिनांक 03/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टपूकड़ा (खैरथल-तिजारा)	
03/12/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते गतादेशानुसार दिनांक 29/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टपूकड़ा (खैरथल-तिजारा)	
16/12/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया मय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.06.2025 को नहीं चलाना चाहते। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया की पश्चात प्रार्थी अभिभाषक द्वारा की गई पत्रावली के कोई आउट स्टेज पेश नहीं है। अतः वाद अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.06.25 को प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर बिना रद्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अलमारी रखे। उपखण्ड अधिकारी टपूकड़ा (खैरथल-तिजारा)	मैं T.I प्रा. पत्र नहीं चलाना चाहती हूँ। सादिमन ID By